न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 1125 सन 2020

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. साहबराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 23/02/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 10/7 की कुल 2.7830हैक भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/67 की कुल 1.3270हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है जिन्होने काश्त की सूविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि पर काबिज होकर भूमि काश करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा का विवरण वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि कब्जा काश्त एवं बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि पर काबिज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चहता है ।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने का अधिकारी है वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ने निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि पर काबिज है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के बाहमी बटवारा जो वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल दावा पेश किया जो शामिल मिसल है। एवं प्रतिवादी संख्या 2 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के

द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 10/7 की कुल 2.7830हैक भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/67 की कुल 1.3270हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

प्रतिवादी संख्या 1 एवं वादी दोनो एक दुसरे के चिपते हुए खेत पडोसी है जिन्होने काश्त की सूविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से वाद भूमि का बाहमी बटवारा कर लिया है उसी के अनुसार भूमि पर काबिज होकर भूमि काश करते आ रहे है वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा का विवरण वाद की मद संख्या 3 में दर्ज है उसी अनुसार भूमि काश्त करते आ रहे है परन्तु राजस्व रिकार्ड में भूमि कब्जा काश्त एवं बाहमी बटवारा के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि पर काबिज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी अपने बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चहता है ।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 10/7 की कुल 2.7830हैक भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 68/67 की कुल 1.3270हैक भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है ।

वादी का कथन है कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 एक ही परिवार के सदस्य है जिन्होने भूमि काश्त की सुविधा के मध्यनजर आपसी सहमति से बाहमी बटवारा किया गया था उसी के अनुसार भूमि पर काबिज है बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य हुए बाहमी बटवारा के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनों के समर्थन में इकबाल भी पेश किया जा चुका है

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है तथा प्रतिवादी संख्या 5 ता 8 ने अपने हकों का त्याग किये जाने के कारण राज्यहकों

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य

सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 8/67 के प0न0 225/396 (19)के किला न0 13/0.253 ,14/0.2530 ,15/1 की 0.1900हैक भूमि में से वादी प0न0 225/396(19) के किला न0 13 मिन दक्षिण 0.0889हैक भूमि छोडकर 0.018हैक मिन मध्य की भूमि व किला न0 14 मिन दक्षिण 0.0889हैक भूमि को छोडकर 0.018हैक मिन मध्य की भूमि व किला न0 15/1 मिन दक्षिणी 0.0667हैक भूमि को छोडकर 0.015हैक मिन मध्य की भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है एवं इसीप्रकार वादी के नाम से दर्ज खाता संख्या 10/7 के प0न0 225/396(19) के किला न0 12/.2530 ,19/.2530हैक में से किला न0 12 मिन दक्षिण पूर्वी कोना 0.050हैक व किला न0 19 मिन उत्तरी पूर्वी कोना की 0.085हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

सत्यमेव जयते

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र नन्दराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 साहबराम पुत्र जसुराम जाति जाट निवासी थालडका तहसील नोहर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 1125 सन 2020 निर्णय दिनांक– 23/02/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज रोही मौजा चक 17 आरडब्ल्यूडी के खाता संख्या 8/67 के प0न0 225/396 (19)के किला न0 13/0.253 ,14/0.2530 ,15/1 की 0.1900हैक भूमि में से वादी प0न0 225/396(19) के किला न0 13 मिन दक्षिण 0.0889हैक भूमि छोडकर 0.018हैक मिन मध्य की भूमि व किला न0 14 मिन दक्षिण 0.0889हैक भूमि को छोडकर 0.018हैक मिन मध्य की भूमि व किला न0 15/1 मिन दक्षिणी 0.0667हैक भूमि को छोडकर 0.015हैक मिन मध्य की भूमि का वादी खातेदार काश्तकार है एवं इसीप्रकार वादी के नाम से दर्ज खाता संख्या 10/7 के प0न0 225/396(19) के किला न0 12/.2530 ,19/.2530हैक में से किला न0 12 मिन दक्षिण पूर्वी कोना 0.050हैक व किला न0 19 मिन उत्तरी पूर्वी कोना की 0.085हैक भूमि का प्रतिवादी संख्या 1 को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो यथावत रहेगा व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 23/02/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)